

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद  
जिला-बालोद (छ.ग.)

निविदा प्रपत्र

पेराई सत्र 2019-20  
(CRUSHING SEASON 2019-20)

// कारखाने की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सिक्यूरिटी टेण्डर फार्म  
//

निविदा दिनांक 27.11.2019  
समय 2.30 बजे के बाद  
स्थान- प्रशासनिक भवन, कारखाना

फार्म शुल्क : 1000/-

ग्राम-करकाभाट, पोस्ट सोरर, तहसील-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.) 491227  
फोन नं.-07749-212201, 213941, टोल फ्री नम्बर 18002331255  
वेबसाईट-dmsskm.com [ईमेल-dmsskm.balod@rediffmail.com](mailto:dmsskm.balod@rediffmail.com)

तकनीकी भाग – एक

प्रति,

प्रबंध संचालक

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद(छ.ग.)

निविदा सूचना नं.468

दिनांक 14.11.2019

**(1) व्यवसायी/फर्म का विवरण**

1. निविदाकर्ता का नाम – :.....
2. निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम :.....
3. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :.....  
:.....  
:.....
4. दूरभाष/मोबाईल नंबर :.....
5. ईमेल आईडी :.....
6. आयकर विभाग का पेन नं. :.....
7. भविष्य निधि खाता क्रमांक :.....
8. फर्म का ई.एस.आई. पंजीयन क्रमांक :.....
9. वार्षिक टर्नओवर (राशि रूपये में) :.....
10. वर्तमान में संस्था द्वारा कितने संस्थाओं :.....  
में सुरक्षा सेवायें दी जा रही हैं की संख्या
11. वर्तमान में निविदाकर्ता के पास उपलब्ध :.....  
सुरक्षाकर्मियों की संख्या
12. जीवित जी.एस.टी. नम्बर :.....
13. लेबर लाईसेंस नंबर :.....

**(2) निविदा हेतु नियम एवं शर्तः—**

1. निविदाकर्ता को पुलिस मुख्यालय छ.ग. रायपुर द्वारा जारी आनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
2. श्रम विभाग/कलेक्टर द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान/पालन करना अनिवार्य होगा।

3. कारखाने द्वारा मांग के आधार पर सुरक्षाकर्मियों को नियोजित किया जाना होगा। जिसमें सुरक्षाकर्मियों की संख्या कारखाने की आवश्यकता के आधार पर घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
4. ई.एम.डी के लिए राशि रू. 50,000/- (अक्षरी: पचास हजार रू. मात्र) का डी.डी कारखाने के पक्ष में पेयबल एट बालोद में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकार को सुरक्षाकर्मियों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन अधिनियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा प्रस्तुतकर्ता को स्वयं के व्यय से यूनिफार्म एवं अन्य सामग्रियाँ उपलब्ध करानी होगी।
7. निविदा प्रस्तुतकर्ता की वार्षिक टर्नओव्हर राशि रू. 10.00 लाख होना अनिवार्य होगा।
8. उक्त निविदा फार्म दिनांक 18.11.2019 से 27.11.2019 तक प्राप्त कर दिनांक 27.11.2019 को अपराह्न 2.00 बजे तक जमा किया जा सकता है। एवं 2.30 बजे के बाद निविदा खोला जावेगा।
9. जिस मद हेतु राशि कारखाने द्वारा प्रदाय की जावेगी का भुगतान प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये शर्तें निविदा में मान्य नहीं की जावेगी।
11. कारखाना प्रबंधन(कमेटी) किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बताये निरस्त कर सकता है।
12. कारखाना प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।
13. फर्म अपने कार्यों का विवरण संबंधी विवरण पुस्तिका पृथक से संलग्न करेंगे।
14. कार्य असंतोष जनक पाये जाने पर कार्य बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
15. कार्य अवधि 01 वर्ष के अनुबंध के आधार पर होगा। कार्य संतोष जनक पाये जाने पर अवधि प्रबंधन के द्वारा वर्षवार बढ़ाई जा सकती है।
16. किसी भी सुरक्षाकर्मी का अपराधिक रिकार्ड ना हो इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी।
17. टेंडर बिना पूर्व सूचना के रद्द एवं तिथि परिवर्तन करने का अधिकार कारखाना प्रबंधन (कमेटी) का होगा।
18. निविदा प्रस्तुतकर्ता को प्रत्येक सुरक्षाकर्मियों का बायोडाटा संधारित करना होगा, जिसकी एक प्रति कारखाने के टाईम आफिस में जमा करना अनिवार्य होगा।
19. निविदा प्रस्तुतकर्ता को सुरक्षाकर्मियों को देयक माह की सात तारीख तक भुगतान देना अनिवार्य होगा।
20. सुरक्षा कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार का हड़ताल या किसी अन्य कारणों से कार्य पर अनुपस्थिति की स्थिति में टेन्डर कर्ता को तत्काल संस्था के मांग के अनुसार सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।

21. कारखाने में चोरी या अन्य क्षति सुरक्षा कर्मियों के लापरवाही/अनदेखी के कारण होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति सुरक्षा एजेंसी द्वारा की जायेगी।
22. कारखाने की सुरक्षा संबंधित सभी जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी सिक्यूरिटी सर्विसेस की होगी।
23. कारखाना अधिनियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
24. सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी 8 घंटे की होगी।
25. रात्रिकालिन सुरक्षा सुपरवाइजर पुरे कारखाने का रिपोर्ट(सूचना) कारखाना प्रबंधन को अनिवार्य रूप से देंगे।
26. सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड हमेशा वर्दी में रहेगा।
27. सुरक्षा कर्मियों का वेतन महीने के 8 तारिख तक करना अनिवार्य होगी।
28. श्रम नियमों का पालन करने की जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी सिक्यूरिटी सर्विसेस की होगी। एवं बालोद जिले के श्रम विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
29. बिल प्रत्येक माह की 1 तारिख तक देना होगा।
30. किसी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।
31. सुपरवाइजर 12 वी पास एवं अनुभवी होना चाहिये जिससे समस्त सुरक्षा विभाग के रजिस्टर एवं फाईल को मेन्टेन कर सकें।
32. निविदा प्रपत्र में दिये गये सिक्यूरिटी गार्ड हेतु राशि रू. प्रति गार्ड, सुपरवाइजर हेतु राशि रू. प्रति सुपरवाइजर एवं गनमेन हेतु राशि रू. प्रति गनमेन होगी।
32. सुपरवाइजर/गार्ड द्वारा कारखाना स्थल पर किसी भी प्रकार के अपने कार्य में अनियमितता/दुर्व्यवहार करते पाये जाने की स्थिति में कारखाना की सेवा से पृथक करने हेतु सम्बन्धित एजेंसी को निर्देशित किया जावेगा।
33. ई.पी.एफ. संबंधित समस्त कार्य ठेकेदार को अनिवार्य करना होगा।
34. उपरोक्त नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपका निविदा निरस्त किया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

**नोट:—कारखाने के शर्तों के अनुसार संस्था के साथ अनुबंध करना अनिवार्य होगा।**

मनी रसीद क्रमांक :.....  
 :.....  
 राशि :.....  
 :.....  
 दिनांक :.....  
 :.....

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर  
 एवं नाम पता एवं सील

व्यावसायिक भाग-दो

// कारखाने में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा फार्म //

प्रति,

प्रबंध संचालक

दं.मै.स.श.का.मर्या.बालोद

कारखाना पेराई सीजन 2019-20 के लिए आमंत्रित निविदा क्रमांक 468 .का.बा/बालोद दिनांक **27.11.2019** के निविदा प्रपत्र भाग में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं दिये गये नियम एवं शर्तों पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए निम्नानुसार दर भर रहे/रहा है।

**कार्य का विवरण:-**

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | कारखाने की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कमीशन दर (प्रतिशत में)<br>(ऑफ सीजन में 12-15 सुरक्षाकर्मी एवं क्रसिंग सीजन में 25 से 30 श्रमिक) | अंको में.....<br>.....<br>शब्दों में.....<br>.....<br>..... |
|----|--|---|

निविदाकार का नाम/पता  
हस्ताक्षर एवं सील